

श्री लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी-सह-समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 22.06.2014 को प्रखण्ड, अंचल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया के औचक निरीक्षण की टिप्पणी :-

दिनांक 22.06.2014 को प्रखण्ड, अंचल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :-

1. प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण :-

- 1.1 दिनांक 21.06.2014 को 2.15 बजे अपराह्न मझौलिया प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्री दिलीप कुमार, लिपिक, प्रखंड कार्यालय, मझौलिया की खोज किये जाने पर वे अनुपस्थित पाये गये, जबकि उपस्थिति पंजी में उनका उपस्थिति दर्ज पायी गयी। उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज कर कार्यालय से बाहर रहना कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है। अतः उपरोक्त के आलोक में स्पष्टीकरण विहित माध्यम से एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें कि क्यों नहीं आपको निलंबित कर दिया जाय।

(अनुपालन :- दिलीप कुमार, लिपिक, प्रखंड कार्यालय, मझौलिया)

- 1.2 उसी प्रकार श्री द्वारिका नाथ प्रसाद, कार्यपालक सहायक, प्रखंड कार्यालय, मझौलिया की खोज किए जाने पर अनुपस्थित पाए गए। पृच्छा किए जाने पर यह ज्ञात हुआ कि वे बिना अवकाश स्वीकृत कराये कर्तव्य से अनुपस्थित है। बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहना कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है। अतः उपरोक्त के आलोक में एक सप्ताह के अंदर विहित माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपको चयन मुक्त कर दिया जाए। श्री प्रसाद का दिनांक 22.06.2014 का मानदेय का भुगतान स्थगित किया जाता है।

(अनुपालन :- द्वारिका नाथ प्रसाद, कार्य० सहायक, प्रखंड कार्यालय, मझौलिया)

- 1.3 प्रखंड कार्यालय भ्रमण के क्रम में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं के लिए स्थापित काउंटर वाले कमरा एवं कार्यालय के वरामदा पर रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं पायी गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया रोशनी की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया)

2. अंचल कार्यालय का निरीक्षण :-

- 2.1 अंचल कार्यालय भ्रमण के क्रम में कार्यालय में पुरानी संचिकाएँ एवं अभिलेख बेतरतीब ढंग से रखा हुआ पाया गया। कुछ अभिलेख लाल कपड़ों में बांध कर भी रखा हुआ पाया गया परंतु किस बंडल में कौन सी संचिकाएं एवं अभिलेख है, उससे संबंधित विवरणी बंडल के उपर अंकित नहीं पाया गया है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि वे सभी अप्रयुक्त संचिकाएं एवं अभिलेख को वर्षवार, विषयवार सूचीबद्ध कर लाल कपड़ों में बांध कर रैक पर रखें ताकि आवश्यकता होने पर उसे निकाला जा सके।

(अनुपालन :- अंचल अधिकारी, मझौलिया)

- 2.2 अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि अग्नि सहाय्य मद में राहत वितरण हेतु अन्य मदों की राशि का विचलन किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा सभी अंचलों से मांग पत्र मंगवाकर दिनांक 30.06.2014 तक विभाग को समेकित मांग पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, बेतिया)

- 2.3 अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि आर.टी.पी.एस. अंतर्गत सेवाओं को प्रदान करने में अन्य मद से राशि का विचलन कर व्यय किया गया है। अपर समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग प्राप्त आवंटन को दिनांक 28.06.2014 तक उपावंटित कर दें। साथ ही सम्भावित व्यय का आकलन कर विभाग को अतिरिक्त राशि का मांग पत्र भेजें।

(अनुपालन :- अपर समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग)

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण :-

- 3.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया के निरीक्षण के क्रम में मो0 इमरान हसन, दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया अनुपस्थित पाये गये। बिना अवकाश स्वीकृत कराये कर्तव्य से अनुपस्थित रहना कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। उपरोक्त के आलोक में एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण विहित माध्यम से समर्पित करें कि क्यों नहीं आपका अनुबंध रद्द कर दिया जाय। उनका दिनांक 21.06.2014 का मानदेय कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर भुगतये नहीं होगा।

(अनुपालन :- मो0 इमरान हसन, दंत चिकित्सक, प्रा0स्वा0 केन्द्र, मझौलिया)

- 3.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया के निरीक्षण के क्रम में चिकित्सकों के कर्तव्य से संबंधित चार्ट चिकित्सक कक्ष के अंदर प्रदर्शित पाया गया, जिसके कारण कर्तव्य पर उपस्थित चिकित्सक से संबंधित जानकारी आने वाले मरीजों को नहीं मिल पाएगी। उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अस्पताल प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे मरीजों की सुविधा हेतु चिकित्सकों के कर्तव्य से संबंधित चार्ट को बरामदे पर प्रदर्शित करें।

(अनुपालन :- प्रभारी चिकित्सा पदा0/अस्पताल प्रबंधक, प्रा0स्वा0 केन्द्र, मझौलिया)

- 3.3 निरीक्षण के क्रम में दवा स्टॉक से संबंधित सूचना प्रदर्शित नहीं पाया गया। उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अस्पताल प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे सेन्ट्रल स्टोर एवं दवा वितरण केन्द्र में उपलब्ध दवाओं का समेकित रूप से सूची तैयार कर प्रतिदिन मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- प्रभारी चिकित्सा पदा0/अस्पताल प्रबंधक, प्रा0स्वा0 केन्द्र, मझौलिया)

3.4 सेन्द्रल स्टोर के निरीक्षण के क्रम में औषधि बेतरतीब ढंग से रखी हुई पायी गयी। औषधियों को रखने हेतु रैक एवं स्थान निर्धारित नहीं रहने के कारण आवश्यक दवाओं को दवा वितरण केन्द्र को उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी। उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अस्पताल प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे सेन्द्रल स्टोर हेतु रैक की व्यवस्था सुनिश्चित कर रैक में प्रत्येक औषधि के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित करें ताकि औषधि वितरण केन्द्र में आवश्यकता होने पर अविलम्ब औषधि उपलब्ध कराया जा सके। प्रत्येक औषधि के रखे जाने के स्थान पर उस औषधि की Expiry date भी अंकित करेंगे ताकि यह पता चल सके कि उक्त औषधि का कब तक उपयोग हो सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे अन्य संस्थानों को उपयोग हेतु भेजा जा सके।

निरीक्षण के क्रम में दिए गए उपरोक्त निदेशों का अनुपालन समय सीमा के अंदर सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

६०-

(लोकेश कुमार सिंह)

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

- ज्ञापांक 599 / गो. दिनांक 28-06-2014
- प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझौलिया/अंचल अधिकारी, मझौलिया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया/अस्पताल प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौलिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से सभी संबंधितों को इसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुपालन प्रेषित करेंगे।
- प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेतिया सदर/वरीय प्रभारी, मझौलिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, विभागीय जांच/उप विकास, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

9/82
①